

रेफ: जीजेसी/आरओएस/सदस्यजी/नवीनीकरण/2015-2016/1028

28 मार्च 2016

सेवा में,

**गुजरात स्थित सभी एसोसिएट सदस्य/साधारण सदस्य,**

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-2017 के सदस्यता के नवीनीकरण के लिए।**

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 हेतु सदस्यता का नवीनीकरण दिनांक 30 अप्रैल, 2016 अथवा उससे पूर्व किया जाना अपेक्षित है।

गत वर्ष की भांति परिषद की वेबसाइट [www.gjepc.org](http://www.gjepc.org) के माध्यम से सदस्यों द्वारा वर्ष 2016-17 की सदस्यता नवीनीकरण के आवेदन को ऑन लाइन भरना अपेक्षित है।

वर्ष 2016-17 का सदस्यता शुल्क वित्त वर्ष 2015-16 के निर्यात के आधार पर देय है। 1 अप्रैल 2016 से लागू शुल्क तथा सदस्यों हेतु दिशा निर्देश क्रमशः **परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2** में इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की प्रक्रिया गत वर्ष की तरह ही है, देय शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट बैंक में किया जा सकता है। जो कि परिषद के वेबसाइट के माध्यम से आपके डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। परिषद वर्तमान के सदस्य [www.gjepc.org](http://www.gjepc.org) पर जाकर अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड द्वारा सदस्यता पृष्ठ में लॉग इन कर सकते हैं।

देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही सदस्यता जारी की जायेगी तथा सदस्यता जारी रखने हेतु चालान पर उल्लेखित तारीख के स्थान पर परिषद के खाते में देय राशि जमा होने की तारीख को ही भुगतान की तिथि माना जायेगा।

### **रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद**

क्षेत्रीय कार्यालय: 401 - A, इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर, कडीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड, सुरत - 395002 - (भारत)

Regional Office : 401 - A, International Commerce Centre, Near Kadiwala School, Ring Road, Surat - 395002 (India)

दूरभाष : 91-261-2209000 फैक्स : 91 - 261 - 2209040 ई-मेल : [surat@gjepcindia.com](mailto:surat@gjepcindia.com) CIN : U99100MH1966GAP013486

प्रधान कार्यालय: टॉवर-ए, एडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 - (भारत)

Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 (India)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फैक्स / Fax: 91-22-2652 47 64. ई-मेल / E-mail: [gjepc@vsnl.com](mailto:gjepc@vsnl.com) / [ho@gjepcindia.com](mailto:ho@gjepcindia.com) वेबसाइट / Website: [www.gjepc.org](http://www.gjepc.org)

सदस्यों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि माह जनवरी 2015 से सदस्यता प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रिन्ट करने की सुविधा लागू कर दी गई है। एक बार सदस्यता जारी होने हाने के पश्चात डिजिटल हस्ताक्षरित सदस्यता प्रमाण पत्र परिषद की वेबसाइट [www.gjepc.org](http://www.gjepc.org) पर उपलब्ध होगा एवं इस वेबसाइट पर लॉग इन करके सदस्यता प्रमाण पत्र का प्रिन्ट लिया जा सकता है।

सदस्यों से पुनः अनुरोध किया जाता है कि परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाएं जैसे प्रदर्शनी इत्यादि के साथ केपी शुल्क में रियायत का अविराम लाभ लेने हेतु अपनी सदस्यता का नवीनीकरण 30 अप्रैल 2016 अथवा उससे पूर्व अवश्य करवा लें।

भुगतान चालान में पिछले वर्ष किए गए निर्यात घोषणा का मदवार डेटा अंकित करने का प्रावधान किया गया है।

किसी भी जानकारी या संसय के समाधान के लिए आप सदस्यता विभाग के फोन नं. 0261-2209000 / 2209017 या [ccjacob@gjepcindia.com](mailto:ccjacob@gjepcindia.com) पर ई-मेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं।

धन्यवाद,

वास्ते रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

*जित्पा ए शेट*

जिल्पा ए शेट

सहायक निदेशक

संलग्न: परिशिष्ट-1 तथा परिशिष्ट-2

### रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद

क्षेत्रीय कार्यालय: 401 - A, इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर, कडीवाला स्कूल के पास, रिंग रोड, सुरत - 395002 - (भारत)

Regional Office : 401 - A, International Commerce Centre, Near Kadiwala School, Ring Road, Surat - 395002 (India)

दूरभाष : 91-261-2209000 फैक्स : 91 - 261 - 2209040 ई-मेल : [surat@gjepcindia.com](mailto:surat@gjepcindia.com) CIN : U99100MH1966GAP013486

प्रधान कार्यालय: टॉवर-ए, एडब्ल्यू-1010, जी.ब्लॉक, भारत डायमंड बोर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 - (भारत)

Head Office: Tower-A, AW-1010, G Block, Bharat Diamond Bourse, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051 (India)

फोन / Tel.: 91-22-2654 4600 फैक्स / Fax: 91-22-2652 47 64. ई-मेल / E-mail: [gjepc@vsnl.com](mailto:gjepc@vsnl.com) / [ho@gjepcindia.com](mailto:ho@gjepcindia.com) वेबसाइट / Website: [www.gjepc.org](http://www.gjepc.org)



## परिशिष्ट-1

### वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क

**1-सदस्यता शुल्क :-** वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क चालान में दर्शाए गए निर्यात एवं आयात की स्वतःघोषणा के साथ वर्ष 2015-16 में फर्म के निर्यात निष्पादन के अनुसार देय होगा।

**2. सेवा कर: जो भी लागू हो।**

**3. वर्ष 2016-17 के लिए आपकी एसोसिएट सदस्यता/साधारण सदस्यता के नवीनीकरण हेतु आपको द्वारा निम्नलिखित राशि देय है:**

वर्ष 2015 -16 के दौरान रत्न एवं आभूषण का निर्यात निष्पादन	वर्ष 2016-17 के लिए सदस्यता शुल्क रु.
25 लाख रु. तक निर्यात	6000/-
25 लाख रु. से अधिक और 1 करोड रु. तक निर्यात	10,000/-
1 करोड रु. से अधिक और 5 करोड रु. तक निर्यात	15,000/-
5 करोड रु. से अधिक और 15 करोड रु. तक निर्यात	30,000/-
15 करोड रु. से अधिक और 50 करोड रु. तक निर्यात	40,000/-
50 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	65,000/-
100 करोड रु. से अधिक और 500 करोड रु. तक निर्यात	1,00,000/-
500 करोड रु. से अधिक और 100 करोड रु. तक निर्यात	1,50,000/-
1000 करोड रु. से अधिक निर्यात	2,00,000/-

नये सदस्य के लिए प्रवेश शुल्क/ वर्तमान सदस्य द्वारा अन्तिम तिथि के पश्चात विलंब से नवीनीकरण शुल्क रु.5000 + सेवा अतिरिक्त कर देय होगा।

**4-बकाया भुगतान :-** यह भी नोट करें कि वर्ष 2016 -17 के सदस्यता का नवीनीकरण करते समय गत वर्ष में परिषद के सदस्य द्वारा देय किसी भी बकाया को गंभीरता से लिया जाएगा यदि वह परिषद की संतुष्टि के अनुरूप न्यायोचित नहीं है।

इस संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि परिषद को देय सभी भुगतानों को उस स्थिति में बकाया माना जाएगा यदि वह परिषद की ओर बकाया और देय हो और वह परिषद द्वारा जारी किए गए बिल की तारीख से 3 (तीन) माह से अधिक समय से बकाया हो तो इस संबंध में परिषद के निर्णय को अंतिम माना जाएगा यदि बिल के राशि के कोई असंगति/विवाद हो तो ऐसे बिल जारी करने की तारीख से 30 (तीस) दिन के भीतर परिषद की जानकारी में न लाया गया हो उसे भी बकाया माना जाएगा।

**5-कंपनी समूह :-** सदस्यों के लिए यह नोट करना अनिवार्य है कि कंपनी समूह की प्रत्येक कंपनी के लिए सदस्यता का नवीनीकरण करना अपेक्षित है, ऐसा न करने पर सदस्यता केवल उस कंपनी विशेष के लिए ही वैध मानी जाएगी जिसने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करा लिया है और जिसका नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र और प्राप्ति चालानों में दर्शाया गया है। किसी भी शंका के निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि

परिषद द्वारा प्रदत्त सुविधाएं उन्हीं सदस्यों को प्रदान की जाएंगी जिनके नाम सदस्यता नवीनीकरण प्रपत्र, प्राप्ति चालान, सदस्यता प्रमाण-पत्र और परिषद द्वारा जारी आरसीएमसी में दर्शाए गए हों। अतः यह उल्लेखनीय है कि किसी समूह में आने वाली प्रत्येक कंपनी को इन शर्तों के अनुसार अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना चाहिए।

**6-नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत न करना :-** सदस्यता के नवीनीकरण के अभाव में फर्म को परिषद संस्था के मेमोरेण्डम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.1 और 11.2 के अनुसरण में परिषद द्वारा प्रदत्त विभिन्न विशेषाधिकारों का प्रयोग करने और परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में भागीदारी हेतु प्रदान किए जाने वाले ऐसे कार्यकलापों तथा सुविधाओं से वंचित रखा जाएगा ।

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडलों में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों में भागीदारी.
- वार्षिक पुरस्कार हेतु नामांकन.
- सॉलिटैयर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों, व्यापार संवर्धन दौड़ों, विदेश में ब्रांडेड आभूषणों के प्रदर्शन आदि में भागीदारी हेतु अनुमतियाँ.

#### सामान्य नियम एवं विनियम

1- सदस्यता नियमों के बारे में मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के परिच्छेद 1 और सदस्यता के नियम।

3. सदस्यों की श्रेणियों, और सदस्यता के लिए पात्रता-

#### 3.1 सदस्य-

सदस्यों की संख्या जिसे परिषद प्रस्तावित करती है, 10000 है, परंतु हो सकता है, समय-समय पर प्रशासन की समिति परिषद की गतिविधियों के आधार पर एवं आवश्यकतानुसार प्रस्तावित संख्या को बढ़ा सकते हैं । इस तरह के व्यक्ति जो परिषद की सदस्यता स्वीकार करते हैं परिषद के सदस्य कहलाये जायेंगे ।

#### 3-2 परिषद के सदस्यों की श्रेणियाँ.

परिषद में सदस्यों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी अर्थात :

- (क) एसोसिएट सदस्य :
- (ख) साधारण सदस्य :

#### 3.3- एसोसिएट सदस्य

कोई व्यक्ति उस उत्पाद के संबंध में जिससे परिषद संबंधित है, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार से आयात-निर्यात कोड संख्या प्राप्त करने के बाद एसोसिएट सदस्य के रूप में परिषद में प्रवेश लेने का पात्र होगा।



### 3.4- साधारण सदस्य

परिषद की साधारण सदस्यता हेतु पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए, अर्थात :

(क) वह अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी कम से कम तीन वर्ष तक परिषद की एसोसिएट सदस्य होनी चाहिए।

(ख) उसके अथवा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी के खाते में तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तीन वित्तीय वर्षों उत्पाद के संबंध में औसत निर्यात नीचे उल्लिखित राशि से कम नहीं होने चाहिए :

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| (i) सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्योग | 10 लाख रु. |
| (ii) अन्य                         | 25 लाख रु. |

### 8.-परिषद की सदस्यता हेतु अयोग्यताएँ

#### 8.1- अयोग्यता

कोई व्यक्ति परिषद का सदस्य बनने अथवा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा, यदि

(क) उसे सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असक्षम पाया गया हो;

(ख) उसने दिवालियापन हेतु न्याय-निर्णयन हेतु आवेदन किया हो अथवा ऐसा न्याय निर्णीत हो गया हो;

(ग) उसे किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो और उसे 6 माह से अधिक के कारागार की सजा सुनाई गई हो।

(घ) उसने अथवा ऐसी किसी फर्म जिसका वह भागीदार है अथवा ऐसी किसी निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, ने अधिनियम की धारा 184 या धारा 185 का उल्लंघन किया हो।

(ङ) वह अधिनियम की धारा 447 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बन गया हो।

(च) वह उस कंपनी का सदस्य न रह गया हो जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है अथवा ऐसी कंपनी जो परिषद की सदस्य न रह गई हो।

(छ) अनुच्छेद 8.2 के अंतर्गत उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो।

#### 8.2- समिति द्वारा निष्कासन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद किसी विशिष्ट अवधि के लिए अथवा अनिश्चित काल के लिए उक्त सदस्य के नाम को सदस्य रजिस्टर से हटा सकती है :

(क) यदि उसने सदस्यता की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, अथवा

(ख) यदि उसके पास सदस्यता शुल्क अथवा परिषद को उसकी ओर से देय किसी अन्य राशि का भुगतान 6 माह से अधिक समय तक लंबित पड़ा हो, अथवा

(ग) यदि वह परिषद या समिति की बैठकों में असामान्य आचरण का दोषी पाया गया हो; अथवा

(घ) यदि उसे अन्यथा सदस्य बनने में आचरणगत दोषी पाया गया हो, अथवा

(ङ) यदि वह अनुच्छेद 8.1 के अंतर्गत अयोग्य बन गया हो।

### 8.3-एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तन

समिति किसी सदस्य को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद साधारण सदस्य की सदस्यता को एसोसिएट सदस्यता में परिवर्तित कर सकती है यदि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के बाद वित्त वर्ष के दौरान उत्पाद के निर्यातक के रूप में उसका निष्पादन अनुच्छेद 3.4 के खण्ड(ख) में उल्लिखित औसत से कम रहा हो।

## 11- सदस्यों के विशेषाधिकार

### 11.1-साधारण सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में साधारण सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ इन अंतर्नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन साधारण सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे अर्थात :

- (क) समिति के सदस्य के चुनाव हेतु उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और वोट देने का अधिकार तथा परिषद के किसी बैठक में लाए गए सभी मामलों पर वोट देने का अधिकार बशर्ते मतदान के वर्ष में 1 अप्रैल को उनके द्वारा परिषद की तरफ अंशदान अथवा अन्य राशि अथवा प्रभार की कोई राशि बकाया न हो।
- (ख) इन अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार बैठक का आग्रह करने का अधिकार;
- (ग) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (घ) निर्धारित शर्तों पर परिषद का प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ङ) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं\* का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर ऐसे सदस्यों को उपलब्ध कराया जाए।

### 11.2-एसोसिएट सदस्य

परिषद के मेमोरंडम एण्ड आर्टिकल में सदस्यों को प्रदत्त सभी अधिकारों के साथ सदस्यों के पास निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार होंगे, अर्थात:

- (क) निर्धारित शुल्क के भुगतान पर समिति की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार;
- (ख) निर्धारित शर्तों पर परिषद के प्रकाशन प्राप्त करने का अधिकार; और
- (ग) निर्धारित शर्तों पर ऐसी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार जिन्हें परिषद द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराया जाए।

सुविधाएं, अर्थात

- भारत/विदेश में कोई आयोजन/प्रदर्शनी में भागीदारी.
- प्रतिनिधिमंडल में भागीदारी.
- क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में भागीदारी.
- वार्षिक पुरस्कार के लिए नामांकन.
- सॉलियेटर इंटरनेशनल, आइडियल कट एवं परिपत्रों की प्राप्ति.
- सेमिनारों एवं कार्यशालाओं में उपस्थिति.
- वीजा हेतु संस्तुति पत्र.
- विदेशी प्रदर्शनियों, निर्यात संवर्धन दौरा, विदेश में ब्रान्डेड आभूषण की प्रदर्शनी आदि में भाग लेने के अनुमतियाँ।

### 13- विशेषाधिकार का स्थगन

#### 13.1- अंशदान का भुगतान न करना

यदि कोई सदस्य (साधारण या एसोसिएट), जिस वर्ष के लिए अंशदान देय बनता है, उस वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने वार्षिक अंशदान का भुगतान करने में विफल रहता है, तो

(क) वह ऐसे सदस्य के रूप में किसी अधिकार या विशेषाधिकार का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा, और

(ख) समिति उसकी सदस्यता निलंबित कर सकती है, उसका निलंबन तब तक रहेगा जब तक वह बकाया भुगतान नहीं करता है, और समिति इस तरह के बकाया लिखित रूप में स्वीकार नहीं करती है और उसके निलंबन को बहाल नहीं करती।

समाप्त.



### नवीनीकरण हेतु सदस्यता शुल्क को जमा करने की विधि

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के हित में नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें और कोई कठिनाई होने की स्थिति में परिषद से तत्काल संपर्क करें।

- 1 चालान पर उल्लेखित बैंक में भुगतान प्राप्त की रसीद की फोटो कॉपी परिषद के कार्यालय में जमा करें।
- 2 सूरत शहर स्थित सदस्यों को सदस्यता शुल्क का भुगतान इंडियन बैंक, रेशमवाला मार्केट, रिंग रोड, सूरत 395003 में ही करना है अथवा हथोहाथ या कूरियर द्वारा परिषद के कार्यालय में जमा करें।
- 3 सदस्यता देय शुल्क परिषद के खाते में क्रेडिट होने के बाद ही जारी कि जाएगी न कि, बैंक में चेक/डीडी/पीओ जमा करने की तारीख के आधार पर। यदि चेक पास नहीं होता है, तो सदस्यता को निलंबित माना जाएगा और चेक पास न होने के कारण बैंक द्वारा लिये गए शुल्क का भुगतान उस सदस्य(यों) को जीजेईपीसी को करना होगा।
- 4 यदि किसी सदस्य को सदस्यता प्रमाण-पत्र की तत्काल आवश्यकता हो तो वे देय सदस्यता शुल्क का भुगतान रत्न तथा आभूषण निर्यात सवर्धन परिषद के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा पे ऑर्डर द्वारा चालान में उल्लेखित बैंक में करें। कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के पीछे अपने कंपनी का नाम और संपर्क नंबर अवश्य लिखें।
- 5 वेबसाइट से चालान तीन प्रतियों को मुद्रित किया जा सकता है, और उन्हें सदस्यता शुल्क के साथ उपरोक्त क्रम सं.2 में दिये गये विवरणानुसार इंडियन बैंक में ही जमा करना है अथवा कार्यालय में जमा करें (जो सदस्य(यों) सूरत शहर बाहर स्थित हैं) वे राष्ट्रीयकृत बैंक के चेक (पेयबले एट पार/डीडी/पे-ऑर्डर) द्वारा भेजनेकी कृपया करें।
- 6 भुगतान के बाद बैंक से प्राप्त प्रतिलिपि परिषद को ई-मेल द्वारा भी भेजी जा सकती है। कृपया संदर्भ हेतु विषय पंक्ति में सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।
- 7 सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए चालान की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें।
- 8 भुगतान चालान के किसी भी कॉलम को खाली छोड़े बिना पूरी तरह से पूरा भरना चाहिए।
- 9 निर्यात/आयात की घोषणा चालान में निर्धारित स्थान पर अनिवार्य रूप से दी जानी है तथा संस्थान के मालिक/भागीदार/निदेशक द्वारा जो की लागू हो द्वारा हस्ताक्षर फर्म की मुहर के साथ किया बैंक में जमा किया जाना चाहिए। चालान पर की गयी घोषणा को परिषद द्वारा सही और वैध माना जाएगा और इस प्रकार प्राप्त सूचना को सरकारी प्राधिकारी अथवा उससे समान निकाय के आदेश के तहत प्रसारण हेतु विश्वस्नीय माना प्रसारीत किया जायेगा। चालान पर किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य घोषणा के लिए सदस्य परिषद को किसी प्रकार के उत्तरदायित्व अथवा किसी भी तृतीय पक्ष के दावे से मुक्त रखेगा। स्पष्टतया सदस्य परिषद को दी गयी घोषणा निर्यात/आयात आकड़ों, जो कि गलत साबित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न किसी भी दावे या तृतीय पक्ष के दावे से स्पष्ट रूप से परिषद को सुरक्षित रखने के लिए सहमत होगा।
- 10 सदस्यता शुल्क के लिए एफओबी के मूल्य के आधार जो वर्ष 2015-16 के दौरान रत्न और आभूषण के निर्यात दिनांक 01/04/2015 से 31/03/2016 तक यानी, दोनों दिन शामिल के मूल्य के रूप में परिशिष्ट-1 में दिखाया गया है, पर किया जाना आवश्यक है।
- 11 सदस्य सदस्यता शुल्क बैंक में भुगतान के बाद चालान की फोटो कॉपी कूरियर, डाक एवं व्यक्तिगत रूप से परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय सूरत के पते **परिशिष्ट-3** में दीये गये पर भेज सकती हैं।

### सूरत शहर के बाहर स्थित सदस्य

सूरत शहर से बाहर स्थित सदस्यों से अनुरोध है कि जो कूरियर अथवा अंगडिया सेवा का उपयोग करते हैं वे विधिवत प्रीपेड कवर भेजे वरना अवैतनिक कवर स्वीकार नहीं किया जाएगा और वितरण एजेंटों को वापस देदीया जाएगा, सदस्यों इस पर ध्यान दे ये उनके स्वयं के हित में उस पर गौर करनेकी कृपिया करें।



## ANNEXURE – 3

### LIST OF COUNCIL'S REGIONAL OFFICES

<b>Chennai</b> The Gem & Jewellery Export Promotion Council Ankur Plaza III Floor, 113 (Old No 52) G.N. Chetty Road, T. Nagar Chennai - 17. Tel : 0091-44-2815 5180 Fax : 0091-44-2815 4526 Email: <a href="mailto:chennai@gjepcindia.com">chennai@gjepcindia.com</a> Contact: Shri R. Surya Narayanan, Asst. Director	<b>New Delhi</b> The Gem & Jewellery Export Promotion Council F 17-18, Flatted Factories Complex, Jhandewalan, New Delhi - 110 055. Tel : 011 - 46266900, 46266920 to 926 Fax : 011 - 23675274 Email : <a href="mailto:delhi@gjepcindia.com">delhi@gjepcindia.com</a> Contact: Shri Tarun Ray, Assistant Director
<b>Jaipur</b> The Gem & Jewellery Export Promotion Council Rajasthan Chamber Bhawan, 3rd Floor, Mirza Ismail Road, Jaipur - 302 003. Tel : 0091-141-256 8029 / 257 4074 Fax : 0091-141-256 7921 / 257 4078 Email : <a href="mailto:jaipur@gjepcindia.com">jaipur@gjepcindia.com</a> Contact : Shri Sanjay Singh, Regional Director	<b>Kolkata</b> The Gem & Jewellery Export Promotion Council Vaniya Bhavan, 6th Flr, Left Wing, 1/1, Wood Street, Kolkata: 700 016. Tel : 0091-33-2282 3630 / 2282 3629 Fax : 0091-33-2282 3629 Email: <a href="mailto:kolkata@gjepcindia.com">kolkata@gjepcindia.com</a> Contact : Shri Shantanu Rajguru, Regional Director
<b>Surat</b> <b>The Gem &amp; Jewellery Export Promotion Council</b> <b>401-A, International Commerce Centre,</b> <b>Near Kadiwala School, Ring Road,</b> <b>Surat - 395002</b> <b>Tel : 0091-261-2209000</b> <b>Fax : 0091-261-2209040</b> <b>Email : <a href="mailto:surat@gjepcindia.com">surat@gjepcindia.com</a></b> <b>Contact: Ms . Jilpa Sheth, Asst. Director</b>	<b>Mumbai</b> The Gem & Jewellery Export Promotion Council Office No. AW 1010, Tower A, G Block, Bharat Diamond Bourse, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400051 Tel: 91 - 22 - 26544600, Fax: 91 - 22 - 26524764 Email: <a href="mailto:membership@gjepcindia.com">membership@gjepcindia.com</a> Contact: Shri M. S. Pandey, Head Membership

Follow the Steps to Renew for the membership online ([www.gjepc.org](http://www.gjepc.org))

#### **Renewal of Membership**

1. Go to [www.gjepc.org](http://www.gjepc.org)
2. Use your existing login & password or in case of forgot password click on **FORGOT PASSWORD** link. You will get link with new password in your e-mail.
3. My GJEPC Dashboard will get displayed after login.
4. Click on "Membership Portal "and then click on "Renew Membership" and you will be directed to challan form.
5. Fill in the Export / Import turnover for previous year (*i.e. FY 2015-16*)
6. Fill in the Cheque / DD No. & other details in challan form.
7. Click on "Submit" button.
8. **Print 3 copies of Bank Challan** from the Renewal Membership Option.
9. **Submit all copies of Bank Challan for Payment in the Bank by RO Surat at Regional Office, Surat.**

#### **GENERAL TIPS**

1. It is recommended to use Mozilla Firefox 4.0 or IE - 7 for speed and smoothness while using GJEPC website.
2. If I.E. Code not accepted due to any reason, please send e-mail at [surat@gjepcindia.com](mailto:surat@gjepcindia.com) mentioning the Company Name and IEC No. Please wait for reply from membership department as we need to check the IEC No. and status of member in ERP for 12-13.
3. In case of any technical problems faced while filling up the information after getting user name and password, please send the same to [surat@gjepcindia.com](mailto:surat@gjepcindia.com) with the nature of query. An online helpdesk will also be available.

**Membership fee is payable from April / March and the same should be renewed every year in the month of April.**